न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी:—श्री सी. एल. शर्मा, आर.ए.एस

मुकदमा संख्या —26/18

1—श्रीमती हंसादेवी प०श्री नन्दलाल खटीक निवासी- कवराडिया तहसील- मांडल

——प्रार्थी

बनाम

1—नन्दलाल s/o श्री भंवरलाल खटीक निवासी- दौलतगढ़ हाल नि० कवराडिया त० मांडल [भील]

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आ दे श :: दिनांक:—23.2.18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा०भू०राज०अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कवराडिया .... पटवार हल्का कवराडिया तहसील मांडल/करेडा में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं ......1060/2 में 18 बिस्वा ....कुल किता 01 रकबा —— बीघा 18.....बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.1.18 ...को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा—फैरी होने का आदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम उक्त ......पटवार हल्का उक्त....... तहसील मांडल/करेडा में स्थित आराजी नम्बर ....उक्त..कुल कित उक्त....रकबा उक्त..बीघा उक्त..बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक आपसमारा ......को...300/-—रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः— तहसीलदार मांडल/करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा